संख्या-58/2022/I/171196/2022-71-2099/2883/2020

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 28 मई, 2022**

विषयः- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संस्थान के संकाय सदस्यों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समतुल्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआई/पीआर/एकेड/6355/2019, दिनांक 04.11.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पश्चात 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये अथवा मृत हुये संकाय सदस्यों को सेवानिवृत्तिक लाभ यथा पेंशन, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, उपादान/मृत्यु उपादान सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार एम्स नई दिल्ली की में प्रचालित व्यवस्था के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने तथा अवकाश नगदीकरण का भुगतान सी0सी0एस0 (Leave) रूल्स 1972 के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपुर्यक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे प्रकरण जिनमें अधिवर्षता आयु राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अधीन 65 वर्ष की आयु तक विस्तारित की गयी है तथा जिनमें अधिवर्षता आयु के चयन का 'विकल्प' उपलब्ध नहीं है, उनमे, सामान्य रूप से अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ जो ऐसे विस्तरण के पूर्व अनुमन्य थे, यथावत् अनुमन्य रहेंगे बशर्ते इस संबंध में कोई अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। कृपया तदनुसार संस्थान की सेवा से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये अथवा मृत हुये संकाय सदस्यों को सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के FINRMS पोर्टल द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- ई-3-18-10-2022-23, दिनांक 19.05.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसारः</u>-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

5- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।